



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन न. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

फा.सं.: 1-22(10)प्रशा./जेपीआर/2018/155

दिनांक:-03.02.2022

कार्यालय आदेश सं. 03/2022

दिनांक 03.02.2022

उप सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा फा. सं. 11013/9/2014-Estt.A.III के अंतर्गत जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2022 तथा संयुक्त आयुक्त (सी सी ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 03/2022 दिनांक 02.02.2022 के अनुसरण में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 04.02.2022 से 15.02.2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित ड्यूटी रोस्टर को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया जा रहा है-

शाखा एवं अनुभाग का नाम	04, 08, 10 और 14 फरवरी, 2022 श्री/ श्रीमती/ सुश्री	07, 09, 11 और 15 फरवरी, 2022 श्री/ श्रीमती/ सुश्री
कर अपवंचना	धीरज बंगाली, अधीक्षक उमा रानी वर्मा, अधीक्षक मोहित गर्ग, निरीक्षक देवेश कुमार शर्मा, निरीक्षक आकाश अटोलिया, निरीक्षक संदीप कुमार ओला, निरीक्षक दीपक कुमार गुप्ता, निरीक्षक निकुंज शर्मा, कर सहायक	राजेंद्र कुमार जैन, अधीक्षक विष्णु कुमार मानुताल, अधीक्षक अंकुल चौधरी, निरीक्षक रामस्नेही जाट, निरीक्षक नीरज कुमार, निरीक्षक रामनिवास यादव, निरीक्षक आशीष जैन, निरीक्षक अमित जैन, निरीक्षक शिमोना कायथ, कर सहायक
तकनीकी/डीजीएआरएम	राजेश कुमार सेनी, अधीक्षक नीरज कुमार, निरीक्षक पीयूष मोयल, निरीक्षक दिनेश चंद मीना, निरीक्षक देशराज जाखड़, कर सहायक	मनिंदर जैन, अधीक्षक राकेश कुमार सेनी, निरीक्षक धर्मेंश कुमार बैरवा, निरीक्षक नम्रता शर्मा, निरीक्षक अशोक कुमार सेइवाल, कर सहायक जीवन राम बलाई, हैड हवलदार
कम्प्यूटर एवं आईटी/ जीएसटी सेल/ ई-ऑफिस/ सीआरयू/ रिवार्ड/ प्रशिक्षण	राजीव आर्या, अधीक्षक दिनेश चंद मीना, निरीक्षक गोपाल लाल पंवार, एमटीएस	उमा शंकर शर्मा, अधीक्षक वरुण यादव, कर सहायक
टीआरसी	हेमंत कुमार जैन, अधीक्षक	विकास कुमार दहिया, निरीक्षक जयवर्धन दायमा, निरीक्षक
पुनरावलोकन	पंकज गुप्ता, अधीक्षक अनिल, निरीक्षक रोबिन गोयल, निरीक्षक योगेंद्र कुमार मीना, कनिष्ठ लिपिक	प्रमोद कुमार बंसल, अधीक्षक सुरेश कुमार धायल, निरीक्षक नीरू गहलावत, कार्यकारी सहायक
न्याय निर्णय	विपिन गुप्ता, अधीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा, निरीक्षक	अजय श्रीवास्तव, अधीक्षक कमलेश कुमार, निरीक्षक श्यो नारायण मीना, कनिष्ठ लिपिक
विधि	संतोष कुमार बैरवा, अधीक्षक मनोज यादव, निरीक्षक	नरेश कुमार गुप्ता, अधीक्षक योगेश खूटेटा, निरीक्षक स्वाती खण्डेलवाल, कर सहायक
सतर्कता	अनिल कुमार जैन, अधीक्षक संतोष कुमार मीना, कर सहायक	सुनील कुमार शर्मा, निरीक्षक आशा देवी छीपा, एमटीएस

वोक्ता / लीड एण्ड बिल्डिंग/ कैंटीन /मुख्यालय	अरविन्द कुमार शर्मा, अधीक्षक बुद्धि प्रकाश, वॉश बाँय	अनिल कुमार शर्मा, निरीक्षक रमेश शर्मा, बीयरर
सेरा ऑडिट	हनुमान प्रसाद मीना, अधीक्षक	रमेश चन्द मीना, निरीक्षक
प्रशासन /स्थापना	मानसिंह गुर्जर, कर सहायक ऋषिराज पबरी, कर सहायक	जगदीश नारायण मीना, प्रशा. अधिकारी प्रदीप भूरिया, कर सहायक मुथरेश शर्मा, कर सहायक
वेतन /लेखा	टीकम चन्द, प्रशासनिक अधिकारी गौरव शर्मा, कर सहायक यशपाल सिंह, कर सहायक तिलक शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	नितेश कुमार तिवारी, कर सहायक सरोज बाला मीना, कर सहायक शालिनी गांगोदिया, कर सहायक
राजभाषा	अशोक कुमार बिरानिया, वरिष्ठ अनुवादक हरकेश कुमार मीना, कनिष्ठ अनुवादक	नीता शुक्ल, वरिष्ठ अनुवादक
प्रधान आयुक्त के साथ संलग्न	सुशील कुमार, आशुलिपिक लक्ष्मण राम खोलिया, हैड हवलदार सरवन कुमार, एम.टी.एस	रवि प्रकाश चंदा, आशुलिपिक देवेन्द्र सिंह खंगारोत, हैड हवलदार
संयुक्त आयुक्त (तकनीकी/ कर अपवंचना) के साथ संलग्न	दिनेश कुमार पलसानिया, आशुलिपिक जगदीश प्रसाद मीना, हैड हवलदार	धर्मपाल, आशुलिपिक वली मोहम्मद, हैड हवलदार
ड्राइवर	महेश कुमार शर्मा भंवर सिंह खंगारोत आफताब मियां	योगेश कुमार शर्मा कान सिंह ओम प्रकाश गाडरी

टिप्पणी :

- मुख्यालय के सभी समूह 'ए' अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाते हैं।
- सभी अधिकारी जो किसी विशेष दिन पर घर से काम कर रहे हैं, टेलीफोन और संचार के किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर हर समय उपलब्ध रहेंगे और आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी से संबंधित कार्य बड़े पैमाने पर ऑनलाइन और ई-ऑफिस के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। अतः घर से कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इन उपकरणों का उपयोग कर लंबित कार्य का समय पर निपटान करना सुनिश्चित करें।
- सभी अधिकारियों को उनके नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी अधिकारियों को हर जगह हर बार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

प्रतिलिपि -

- संयुक्त आयुक्त (मुख्य आयुक्त कार्यालय), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
- संबंधित अधिकारी / व्यक्तिगत प्रति
- अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर - को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

03/02/22
(मुकेश कटारिया)
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)